परिपत्र सं- 239/33/2024-जीएसटी

फा.सं. सीबीआईसी-20016/2/2022-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग
****

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसंबर, 2024

सेवा में,
सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त
सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक

महोदया/ महोदय,

विषय: 'केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 और 74 तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत उचित अधिकारी' पर परिपत्र संख्या 31/05/2018-जीएसटी, दिनांक 9 फरवरी, 2018 में संशोधन- के संदर्भ में।

अधिसूचना संख्या 02/2022-केंद्रीय कर, दिनांक 11 मार्च, 2022 द्वारा, अधिसूचना संख्या 02/2017-केंद्रीय कर, दिनांक 19 जून, 2017 में पैरा 3क जोड़ा गया था, जिसमें माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (जिसे आगे डीजीजीआई के रूप में संदर्भित किया गया है) के अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन हेतु कुछ विशिष्ट केंद्रीय कर आयुक्तालयों के अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त को अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 27/2024- केंद्रीय कर दिनांक 25 नवंबर, 2024 के अनुसार, तालिका V को अधिसूचना संख्या 02/2017-केंद्रीय कर दिनांक 19 जून, 2017 में प्रतिस्थापित किया गया है, ताकि डीजीजीआई के अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार वाले निर्दिष्ट केंद्रीय कर आयुक्तालयों के अधिक संख्या में अतिरिक्त केंद्रीय कर आयुक्तों/केंद्रीय कर के संयुक्त आयुक्तों को सशक्त बनाया जा सके। अधिसूचना संख्या 27/2024- केंद्रीय कर दिनांक 25 नवंबर, 2024, 1 दिसंबर, 2024 से प्रभाव में आई है।

2. परिणामस्वरूप, परिपत्र संख्या 31/05/2018-जीएसटी दिनांक 9 फरवरी, 2018 (जैसा कि परिपत्र संख्या 169/01/2022-जीएसटी दिनांक 12 मार्च, 2022 द्वारा संशोधित किया गया है) का पैरा 7.1 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"7.1 डीजीजीआई के अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में, ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ,

(i) एक ही या अलग-अलग पैन वाले कई नोटिस प्राप्तकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है; या

(ii) एक ही मुद्दे पर एक ही पैन वाले कई नोटिस प्राप्तकर्ता को कई कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं।

और ऐसे नोटिस प्राप्तकर्ता का मुख्य व्यवसाय स्थान कई केन्द्रीय कर आयुक्तालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन हेतु , निर्दिष्ट आयुक्तालयों के केंद्रीय कर के अपर /संयुक्त आयुक्तों को अधिसूचना संख्या 02/2027 दिनांक 19 जून, 2017 में संशोधन के माध्यम से अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र

प्रदान किया गया है, जो अधिसूचना संख्या 02/2022-केंद्रीय कर दिनांक 11 मार्च, 2022 द्वारा और आगे अधिसूचना संख्या 27/2024-केंद्रीय कर दिनांक 25 नवंबर, 2024 द्वारा संशोधित किया गया है। ऐसे कारण बताओ नोटिस पर, कारण बताओ नोटिस में शामिल राशि की परवाह किए बिना, उपर्युक्त अधिसूचनाओं के तहत अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार से अधिकार प्राप्त केंद्रीय कर के अपर /संयुक्त आयुक्तों में से एक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट केंद्रीय कर आयुक्तालयों के प्रधान आयुक्त/आयुक्त अपने आयुक्तालयों में तैनात एक या अधिक अपर आयुक्तों/संयुक्त आयुक्तों को न्यायनिर्णयन (डीजीजीआई मामले) का प्रभार आवंटित करेंगे। जहां नोटिस प्राप्तकर्ता के व्यवसाय के मुख्य स्थान का स्थान, जिसमें उक्त कारण बताओ नोटिस में कर की मांग की उच्चतम राशि है, नीचे दी गई तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित केंद्रीय कर क्षेत्र /आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां उक्त केंद्रीय कर क्षेत्र /आयुक्तालय के साथ उक्त तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित केंद्रीय कर आयुक्तालय के न्यायनिर्णयन (डीजीजीआई मामले) का प्रभार संभालने वाले केंद्रीय कर के अपर आयुक्तों/संयुक्त आयुक्तों में से किसी एक द्वारा कारण बताओ नोटिस का न्यायनिर्णयन किया जा सकता है। तदनुसार, ऐसे कारण बताओ नोटिस को डीजीजीआई के अधिकारियों द्वारा संबंधित अपर /संयुक्त केन्द्रीय कर आयुक्तों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकता है।

तालिका

क्रम संख्या	***केंद्रीय कर जोन/आयुक्तालय जिनके अधिकार क्षेत्र में उच्चतम कर मांग वाले नोटिसी का प्रधान व्यवसाय स्थान स्थित है***	***केंद्रीय कर आयुक्तालय जिनके अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त डीजीजीआई के अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का न्यायनिर्णयन करेंगे***
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	*अहमदाबाद क्षेत्र*	*अहमदाबाद दक्षिण*
2.	*वडोदरा क्षेत्र*	*सूरत*
3.	*भोपाल क्षेत्र*	*भोपाल*
4.	*नागपुर क्षेत्र*	*नागपुर-II*
5.	*चंडीगढ़ क्षेत्र*	*चंडीगढ़*
6.	*पंचकूला क्षेत्र*	*फरीदाबाद*
7.	*चेन्नई क्षेत्र*	*चेन्नई दक्षिण*
8.	*बेंगलुरु क्षेत्र*	*बेंगलुरु पूर्व*
9.	*तिरुवनंतपुरम क्षेत्र*	*तिरुवनंतपुरम*
10.	*दिल्ली उत्तर और दिल्ली पूर्व आयुक्तालय (दिल्ली क्षेत्र)*	*दिल्ली उत्तर*
11.	*दिल्ली पश्चिम और दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय (दिल्ली क्षेत्र)*	*दिल्ली पश्चिम*
12.	*जयपुर क्षेत्र*	*जयपुर*
13.	*गुवाहाटी क्षेत्र*	*गुवाहाटी*
14.	*हैदराबाद क्षेत्र*	*रंगारेड्डी*
15.	*विशाखापट्टनम (अमरावती) क्षेत्र*	*विशाखापट्टनम*
16.	*भुवनेश्वर क्षेत्र*	*भुवनेश्वर*
17.	*कोलकाता क्षेत्र*	*कोलकाता उत्तर*
18.	*रांची क्षेत्र*	*रांची*
19.	*लखनऊ क्षेत्र*	*लखनऊ*
20.	*मेरठ क्षेत्र*	*मेरठ*
21.	*मुंबई पश्चिम, ठाणे, ठाणे ग्रामीण, रायगढ़, बेलापुर, नवी मुंबई और भिवंडी आयुक्तालय (मुंबई क्षेत्र)*	*ठाणे*

22.	*मुंबई दक्षिण, मुंबई पूर्व, मुंबई मध्य और पालघर आयुक्तालय (मुंबई क्षेत्र)*	*पालघर*
23.	*पुणे क्षेत्र*	*पुणे-II*

7.1.1 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां एक ही या अलग-अलग पैन वाले कई नोटिस प्राप्तकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उक्त कारण बताओ नोटिस को ऊपर पैरा 7.1 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार कर की मांग की उच्चतम राशि के अनुसार एक सामान्य न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णयित किया जाना अपेक्षित है, तब यदि बाद में उसी मुद्दे पर कोई कारण बताओ नोटिस किसी अन्य नोटिस प्राप्तकर्ता को जारी किया जाता है, जिनके पैन, पहले के कारण बताओ नोटिस में शामिल नोटिस प्राप्तकर्ता के पैन से भिन्न हैं, तो उक्त बाद के कारण बताओ नोटिस का न्यायनिर्णयन किया जाना है।

(i) नोटिस प्राप्तकर्ता के क्षेत्राधिकार वाले न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा, यदि बाद में जारी उक्त कारण बताओ नोटिस में केवल एक नोटिस प्राप्तकर्ता (जीएसटीआईएन) शामिल है; या

(ii) बाद के उक्त कारण बताओ नोटिस में कर मांग की उच्चतम राशि के आधार पर स्वतंत्र रूप से लागू उपरोक्त पैरा 7.1 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार सामान्य न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा, यदि बाद के उक्त कारण बताओ नोटिस में कई नोटिस प्राप्तकर्ता (जीएसटीआईएन) शामिल हैं, जिनके व्यवसाय का मुख्य स्थान कई केंद्रीय कर आयुक्तालयों के अधिकार क्षेत्र में है।''

3. इसके अलावा परिपत्र संख्या 31/05/2018-जीएसटी दिनांक 9 फरवरी, 2018 का पैरा 7.3 (परिपत्र संख्या 169/01/2022-जीएसटी दिनांक 12 मार्च, 2022 द्वारा संशोधित) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है:

"7.3 अधिसूचना संख्या 27/2024-केन्द्रीय कर दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के प्रभाव मे आने से पहले डीजीजीआई के अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों के संबंध में, जिनमें उपर्युक्त पैरा 7.1.1 के साथ पैरा 7.1 में उल्लिखित मामले शामिल हैं और जहां 30 नवम्बर, 2024 तक कोई न्यायनिर्णयन आदेश जारी नहीं किया गया है, उन्हें अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार वाले केन्द्रीय कर के अपर/संयुक्त आयुक्तों के प्रति, उपर्युक्त पैरा 7.1.1 के साथ पैरा 7.1 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार, ऐसे कारण बताओ नोटिसों पर शुद्धिपत्र जारी करके जवाबदेह बनाया जा सकता है।"

4. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु को सार्वजनिक करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।

5. उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई होने पर, कृपया बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

(संजय मंगल)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)